

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/23/2018-अ.भा.से.-।


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 26 जून, 2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा डॉ. नितिन गौड़, आई.ए.एस. (छत्तीसगढ़:2016) का सुश्री सौम्या पांडे, आई.ए.एस. (उत्तर प्रदेश:2017) से विवाह होने के आधार पर छत्तीसगढ़ संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, दिल्ली